Office of Industrial Relations

NSW में नौकरी करनी

आपके कार्यस्थल संबंधी मौलिक अधिकार तथा उत्तरदायित्व

Working in NSW

अपने कानूनी अधिकार जानें

NSW के औद्योगिक संबंधों के कार्यालय (OIR) द्वारा प्रदान की गई संदर्शिका

परीक्षण के रूप में काम आरम्भ करना

अधिकतर नौकरियाँ इंटरव्यू के बाद ही दी जाती हैं।

जब नौकरी दी जाती है, उस समय आपसे कुछ समय के लिए परीक्षण के रूप में या प्रोबेशन पर (परखाधीन) काम करने के लिए कहा जा सकता है यह जाँचने के लिए आप काम कर पाएगें या नहीं। आपके नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि वह आपको बताए कि परीक्षण या प्रोबेशन की अवधि कितनी होगी (अधिकतम तीन महीने) **तथा इस अवधि में आपको वेतन देना अनिवार्य है।**

यदि आपको बिना वेतन के कार्य-अनुभव करने को कहा जाता है तो यह किसी रजिस्टर्ड शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था, जैसे कि स्कूल, टेफ़ या विश्वविद्यालय के माध्यम से ही हो सकता है।

नौकरी का प्रस्ताव लिखित रूप में लें

जब आपको नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है, तो समझदारी इसमें है कि आप नियोक्ता से कहे कि लिखित में आपको स्पष्ट रूप से बताया जाए कि आपके काम करने की शर्तें क्या होंगी तथा आपको क्या-क्या करना होगा।

इस पत्र में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

- आपके नियोक्ता का नाम
- नौकरी में क्या-क्या करना होगा और आपकी कार्य सूची
- आपको प्रति घंटे, सप्ताह या पखवाड़े में कितना वेतन मिलेगा
- आपके काम करने का समय
- आप कैज़ुअल, पूर्ण-कालिक या अंश-कालिक हैं
- आपके काम करने की शर्तें
- आप किस प्रकार के प्रबंध के अंतर्गत काम करेंगे, जैसे कि, सरकारी वेतन की दर पर या किसी समझौते के आधार पर।

नौकरी का प्रस्ताव मानने से पहले

हो सकता है कि आपको सरकारी वेतन की दर पर या किसी समझौते के आधार पर नौकरी मिले। यदि आप से काम करने की शर्तों को मानने संबंधी कागज़ातों पर हस्ताक्षर करने को कहा जाता है तो आपको इन कागज़ातों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इन पर उसी समय हस्ताक्षर करने के दबाव में न आएँ, विशेषकर यदि यह आपके लिए सही न हो तो।

अपने नियोक्ता से कागज़ातों को समझने के लिए कुछ समय की माँग करें। कितना समय दिया जाएगा यह इस पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का समझौता है।

समझौते को घर ले जाने में हिचकिचाएँ नहीं और जिन व्यक्तियों पर आपको भरोसा है उनके साथ मिल कर उसे समझे। हो सकता है आपको अपना निर्णय लेने से पहले कानूनी सलाह लेनी पड़े।

यदि जिस समझौते पर आपसे हस्ताक्षर करने को कहा गया है वह आपको समझ नहीं आता तो OIR की परामर्श सेवा (OIR's Advisory Service) से 131 628 पर संपर्क करें।

सरकारी वेतन दर अथवा समझौता?

आप किस प्रकार के प्रबंध के अंतर्गत काम करेंगे, यह इस पर निर्भर करेगा कि आपके नियोक्ता का काम निगमित (कम्पनी) है या अनिगमित (एकल उद्यमी है या साझेदारी) है।

नियोक्ता निगमित होता है यदि उनकी कम्पनी के नाम में 'Pty Ltd' या 'Ltd' लगा होता है। यदि वे निगमित हैं तो हो सकता है आप संघीय अधिनिर्णय (award) या समझौते के अंतर्गत काम करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संघीय सरकार के कार्यस्थल लोकपाल (Workplace Ombudsman) से संपर्क करें।

यदि आपका नियोक्ता अनिगमित है तो अधिकतर आप NSW राजकीय अवार्ड या उद्यम समझौते की शर्तों के अंतर्गत काम करेंगे। अधिक जानकारी के लिए OIR से संपर्क करें।

व्यक्तिगत परिवर्तिय रोज़गार समझौता
(संघीय औद्योगिक संबंध व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी करने वालों के लिए जानकारी)

व्यक्तिगत परिवर्तिय रोज़गार समझौता (Individual Transitional Employment Agreements) उन कर्मचारियों के लिए एक प्रकार का नया कार्यस्थल समझौता है जो निगमित नियोक्ता के लिए अभी काम कर रहे हैं।

ये सीमित समय के लिए ही उपलब्ध हैं और ITEA केवल 31 दिसम्बर 2009 तक ही बनाए जा सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार का व्यक्तिगत समझौता करने वालों को उचित वेतन व अधिकार मिलें, सभी ITEA की विशेष जाँच द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए संघीय कार्यस्थल जानकारी सेवा (Workplace Infoline) को 1300 363 264 पर संपर्क करें

NSW Department of Commerce
Office of Industrial Relations

कोई भी समझौता करना **स्वैच्छिक** है। यदि आप इस समझौते को नहीं चाहते तो हस्ताक्षर न करें। सुनिश्चित करें कि आप अनुचित कार्य स्थिति व वेतन को न मानें। यदि आपको पक्की तरह से स्पष्ट नहीं है तो OIR को फ़ोन करें।

आपका वेतन

आपके नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि वह आपको कम से कम अवार्ड या समझौते में दी गई न्यूनतम दर दे। यह दर इस पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार का व किस समय पर काम करते हैं। आपको न्यूनतम से अधिक दर भी मिल सकती है।

NSW राजकीय अवार्ड के अंतर्गत आपको कई कार्यों के लिए भत्ता, नियमित कार्य समय के बाद अधिक काम करने पर ओवरटाईम भत्ता या रात, सप्तहांत या सरकारी छुट्टी के दिन काम करने पर बढ़ी हुई दर मिल सकती है।

हो सकता है कि अन्य समझौतों में यह भत्ते या अतिरिक्त वेतन शामिल न हों।

आपके नियोक्ता को नियमित रूप से वेतन देना अनिवार्य है और यदि आप चाहें तो कम से कम पखवाड़े में एक बार।

आपका नियोक्ता आपके वेतन में से कोई पैसा नहीं काट सकता जब तक कि आपने लिखित रूप से माना न हो और वह कानूनी रूप से आवश्यक हो। आपके सालाना अवकाश वेतन में से कुछ भी नहीं काटा जा सकता।

आपको वेतन नकद, चेक से मिलना चाहिए या पैसा आपके बैंक अकाऊंट में जमा किया जाना चाहिए।

आपके नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि वेतन मिलने के समय वह आपको पेस्लिप दे जिसमें आपके वेतन का विवरण दिया गया हो।

NSW राजकीय अवार्ड

NSW राजकीय अवार्ड के अंतर्गत काम करने से आपके न्यूनतम भत्ते आमतौर पर इस प्रकार होंगेः

- बीमारी की छुट्टी
- न्यूनतम वेतन
- औसतन सप्ताह में 38 घंटे काम करना
- भोजन व आराम के लिए ब्रेक
- ओवरटाईम दरें
- सप्ताहांत, विभिन्न समय पर काम करने पर व अन्य बढ़ी हुई दरें
- सरकारी छुट्टियाँ
- वर्दी, वाहन, यात्रा व अन्य भत्ते
- बोनस
- चार सप्ताह की सालाना वेतन सहित छुट्टी व सालाना छुट्टी पर अतिरिक्त भत्ता (केवल पूर्ण-कालिक व अंश-कालिक कर्मचारियों के लिए)
- वेतन में बढ़ोत्तरी

अंश-कालिक कर्मचारियों के लिए यह सुविधाएँ अनुपातिक या बराबर (pro-rata) होंगी

अन्य अधिकारों में शामिल हैः

- बच्चा होने या गोद लेने पर, बारह महीने की वेतन रहित माता-पिता के लिए छुट्टी, और इस छुट्टी को दो साल के लिए निवेदन करने का अधिकार
- दस वर्ष नौकरी करने के बाद दो महीने की लम्बी सेवा की छुट्टी।

आपका अवार्ड कार्यस्थल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिससे आप अपने वेतन की दर व शर्तों की जाँच कर सकें।

अनियत (Casual) कर्मचारी

अनियत (Casual) कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता मिलता है जिसे लोडिंग कहते हैं और जो वेतन सहित छुट्टियाँ जैसे कि बीमारी की छुट्टी आदि न मिलने, काम से बिना सूचना के निकाले जाने व नौकरी की कोई गारंटी न होने के मुआवज़े के रूप में दिया जाता है। कुछ अनियत (Casual) कर्मचारियों को अपने वेतन के साथ-साथ छुट्टियों की प्रति घंटे दर का बाहरवाँ हिस्सा भी मिल सकता है।

NSW राजकीय अवार्ड के अंतर्गत काम करने से उपयुक्त अनियत (Casual) कर्मचारियों को अधिकार है कि छः महीने लगातार काम करने पर वे नियोक्ता से स्थाई नौकरी माँगें।

कार्यस्थल पर आपके उत्तरदायित्व

कर्मचारी होने के नाते आपके लिए अनिवार्य है कि आप नियोक्ता द्वारा दिए गए कानूनी व उचित निर्देशों का पालन करें और नियोक्ता के साथ मिल कर सुरक्षित व स्वस्थ कार्यस्थल बनाएँ।

आपकी नौकरी समाप्त होना

आपके या आपके नियोक्ता द्वारा, जहाँ तक हो सके लिखित रूप में, उचित नोटिस देने पर आपकी नौकरी समाप्त हो सकती है। नोटिस की अवधि जानने के लिए अपना अवार्ड या समझौता देखें।

नियोक्ता नौकरी समाप्त कर सकता हैः

- यदि आपकी निश्चित-समय की नौकरी का कॉन्ट्रेक्ट समाप्ति पर पहुँच गया है
- संतोषजनक रूप से या ठीक से काम न करने पर
- मेडिकल कारणों से यदि आप काम नहीं कर पाते (पर कार्यस्थल पर चोट लगने के छः महीने के अंदर नहीं)
- जानबूझकर भद्दा दुर्व्यहवार करने पर बिना नोटिस के निकाला जा सकता है।

यदि उद्योग में नुकसान होता है या उसका ढाँचा बदला जाता है और आपका पद समाप्त हो जाता है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इसे अधिकता के कारण बेरोज़गार होना (redundancy) कहते हैं। यह देखने के लिए कि कोई अतिरिक्त भुगतान तो नहीं लागू होता, संबंधित अवार्ड देखें।

उपयोगी संपर्क

NSW औद्योगिक संबंधों का कार्यालय
(NSW Office of Industrial Relations)
राजकीय अवार्ड वेतन व कार्य शर्तें
फ़ोनः 131 628
www.industrialrelations.nsw.gov.au

कार्यस्थल प्राधिकरण (Workplace Authority)
संघीय वेतन व कार्य शर्तें
फ़ोनः 1300 363 264
www.workplaceauthority.gov.au